न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 600 / 2020
अनवान : –

1. कलावती पुत्री पदमाराम पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सरबती पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. गिरदावरी पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. किस्तुरी पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा थालड़का तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 2/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213 / 200 के ख0न0 301 / 4 की 6.3230 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजा देवी के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212 / 201 की कुल 13.8600 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजा देवी प्रत्येक के 1 / 24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73 / 67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादीया के दादा दाना पुत्री बस्ती के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीया के पिता पदमाराम पुत्र दानाराम का देहान्त होने के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के दोनों खातों की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व वादीया की [illegible] सुरजी देवी के बहिब दर्ज हो गयी और विरासतन इन्तकाल में वादीया का नाम [illegible] गया जबकि वादीया के अपने पिता पदमाराम की उक्त दोनों खातों की भूमि में अन्य वारिसों के साथ बहिब [illegible] हिस्सा दर्ज होना चाहिए था वादीया की माता की भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:33:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213/200 के ख0न0 301/4 की 6.3230 हैक्ट भूमि व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212/201 की कुल 13.8600 हैक्ट भूमि में से 4.62 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादीया के दादा दाना पुत्र बस्ती की रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73/67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 212, 213 व रोही मौजा 1 एनएचआरए बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73, चित्रप्रति विरासतन नामान्तरण, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के उक्त दोनों खातों की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजी देवी के बहिब दर्ज हो गयी और विरासतन इन्तकाल में वादीया का नाम दर्ज नही किया गया जबकि वादीया के अपने पिता पदमाराम की उक्त दोनों खातों की भूमि में अन्य वारिसों के साथ बहिब हक हिस्सा दर्ज होना चाहिए था वादीया की माता की भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213/200 के ख0न0 301/4 की 6.3230 हैक्ट भूमि व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212/201 की कुल 13.8600 हैक्ट भूमि में से 4.62 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादीया के दादा दाना पुत्र बस्ती की रोही मौजा 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73/67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213/200 के ख0न0 301/4 की 6.3230 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजा देवी के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212/201 की कुल 13.8600 हैक्ट मुश्तरका खाता की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजा देवी प्रत्येक के 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73/67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादीया के दादा दाना पुत्री बस्ती के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के उक्त दोनों खातों की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व वादीया की माता सुरजी देवी के बहिब दर्ज हो गयी और विरासतन इन्तकाल में वादीया का नाम दर्ज नही किया गया जबकि वादीया के अपने पिता पदमाराम की उक्त दोनों खातों की भूमि में अन्य वारिसों के साथ बहिब हक हिस्सा दर्ज होना चाहिए था वादीया की माता की भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213/200 के ख0न0 301/4 की 6.3230 हैक्ट भूमि व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212/201 की कुल 13.8600 हैक्ट भूमि में से 4.62 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादीया के दादा दाना पुत्र बस्ती की रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73/67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है वादीया के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र के अनुसार पदमाराम पुत्र दानाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर मुताबिक अनतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213/200 के ख0न0 301/4 की 6.3230 हैक्ट भूमि व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212/201 की कुल 13.8600 हैक्ट भूमि में से 4.62 हैक्ट भूमि दोनों खातों में सुरजा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ दोनो खातो में बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73/67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि में दाना पुत्र बस्ती का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/2/2024.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 600 / 2020

अनवान : –

1. कलावती पुत्री पदमाराम पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सरबती पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. गिरदावरी पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. किस्तुरी पुत्री पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा थालड़का तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 600 सन 2020 निर्णय दिनांक 2/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 213 / 200 के ख0न0 301 / 4 की 6.3230 हैक्ट भूमि व रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 212 / 201 की कुल 13.8600 हैक्ट भूमि में से 4.62 हैक्ट भूमि दोनों खातों में सुरजा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ दोनो खातो में बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 1 एनएचआरबी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 73 / 67 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के 1 / 3 हिस्सा भूमि में दाना पुत्र बस्ती का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested